

07<sup>02</sup>/<sub>25</sub>

वादी प्रकाशचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वादी प्रकाशचन्द ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी उक्त वाद चलाना नहीं चाहते हैं तथा पुनः नया वाद प्रस्तुती करने की अनुमति के साथ उक्त वाद विड्रॉल किये जाने का निवेदन किया। वादी प्रकाशचंद के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुनः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ उक्त वाद अरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
ज्येष्ठ अधिकारी, बाली